विभाग द्वारा संचालित केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं:–

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना :–

भारत सरकार शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय, नई दिल्ली के निर्देशानुसार पूर्व में प्रचलित नेहरू रोजगार योजना, प्रधानमंत्री का शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम और सभी बुनियादी सेवा कार्यक्रमों को समाहित करते हुए इनके स्थान पर दिनांक 1.12.97 से स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना प्रारंभ की गई है तथा भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2009 से योजना पुर्नगठित की जाकर मई में संशोधित दिशा–निर्देश जारी की गई है। यह योजना प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों में लागू है। वर्ष 2007–08 में शहरी क्षेत्रों में 110 निकायों में शहरी गरीबों की पहचान एवं गणना का कार्य कराया गया है । जिसके अनुसार यह संख्या 545814 है। योजनांतर्गत शहरी क्षेत्रों में निवासरत गरीब परिवार के सदस्यों को रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के साथ–साथ उन्हें उनके कौशल उन्नयन हेतु प्रषिक्षण उपलब्ध कराया जाता है। स्वयं के रोजगार स्थापित करने के इच्छुक युवाओं/महिलाओं को बैंक के माध्यम से ऋण/अनुदान भी उपलब्ध कराया जाता है। उसके अलावा गरीब परिवार के महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सामुदायिक संरचनाओं के माध्यम से उन्हें सुदृढ़ करने का प्रावधान है। महिलाओं को रोजगार के क्षेत्र में विशेष अवसर प्रदान करने महिला स्वसहायता कार्यक्रम अंतर्गत रू. 10.00 लाख तक की आर्थिक सहायता की जा सकती है।

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजनान्तर्गत छ.ग.राज्य गठन के बाद से अभी तक केन्द्र से रू. 5702.72 लाख तथा राज्य से रू. 1424.87 लाख राशि दी गई है, जिसमें से कुल रूपये रू. 7127.59 लाख व्यय किए गए हैं। 2010–11 में 1200 व्यक्तिगत तथा 400 समूहों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। इसी प्रकार कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम में 3310 हितग्राहियों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण दिया गया है तथा 2010–11 में 10000 हितग्राहियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। वर्ष 2010–11 में केन्द्र से रू. 1201.95 लाख प्राप्त हुए हैं । केन्द्रांश के विरूद्व राज्य शासन से रू. 400.65 लाख आहरण की स्वीकृति हेतु कार्यवाही प्रगति पर है।

'पे एण्ड यूज' अंतर्गत सार्वजनिक शौचालय :–

इस योजनान्तर्गत राज्य की नगरीय निकायों में सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया जाता है तथा 30 वर्षीय अनुबंध के आधार पर 'पे एण्ड यूज' आधार पर संचालित किया जाता है। इसके अन्तर्गत राज्य के 69 नगरों में 82 "पे एण्ड यूज" युनिट्स कुल लागत राशि रूपये 719.00 लाख की योजना भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई। राशि रू. 649.65 लाख का आबंटन प्राप्त हो चुका है, जिसे नगरीय निकायों को आबंटित किया जा चुका है। इस योजनांतर्गत रूपये 604.73 लाख व्यय कर 65 शौचालयों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

शुष्क शौचालय परिवर्तन कार्यक्रम :–

प्रदेश में सिर पर मैला ढोने की प्रथा पूर्णतः समाप्त हो चुकी है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माणाधीन आवासों में नये शौचालयों के निर्माण शामिल किया जाता है।

योजनान्तर्गत पूर्व में भारत सरकार तथा आवास एवं नगर विकास निगम (हुडको) के द्वारा ऋण/अनुदान उपलब्ध कराया जाता था। वर्ष 1992–93 में उक्त राशि केवल हुडको के द्वारा ही दी जा रही है। विभिन्न हितग्राही समूह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने का माप निम्नानुसार है :–

क्र.	भवन के प्रकार	अनुदान	ऋण	हितग्राही का अंशदान
1.	इ.डब्ल्यू.एस.	45 प्रतिशत	50 प्रतिशत	5 प्रतिशत
2.	एल.आई.जी.	25 प्रतिशत	60 प्रतिशत	15 प्रतिशत
3.	एम.आई.जी.	–	75 प्रतिशत	25 प्रतिशत

राज्य में शुष्क शौचालय को जलवाहित शौचालय में परिवर्तन का कार्य प्राथमिकता से करने हेतु सर्वेक्षित 15222 शुष्क शौचालय का लक्ष्य रखा गया है। कुल लागत रूपए 4.94 करोड़ की कार्य योजना पर भारत सरकार तथा हुडको से स्वीकृति प्राप्त की गयी है। अभी तक कुल 13793 यूनिट का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष कार्य प्रगति पर है।

जवाहर लाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन :—

राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन (National Urban Renewal Mission) अंतर्गत देश के 65 नगरों में नगरीय विकास और गरीबी उपशमन कार्यक्रम लागू करने के लिए स्थापित किया गया है। नगर निगम रायपुर का चयन प्रदेश की राजधानी होने के कारण किया गया है। मिशन अंतर्गत 80 प्रतिशत धनराशि केन्द्र शासन द्वारा, 10 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा अनुदान के रूप में प्राप्त की जायेगी और शेष 10 प्रतिशत राशि निकाय के द्वारा वहन की जायेगी। मिशन अंतर्गत योजनाओं की स्वीकृति के निम्नानुसार शर्तों का पालन आवश्यक है :—

1) नगरीय निकाय तथा राज्य शासन, केन्द्र शासन द्वारा मिशन के अंतर्गत निर्धारित सुधार कार्यक्रमों को लागू करने के लिए अनुबंध करें।

2) नगरों के एकीकृत विकास के लिए 20—25 वर्षों की योजना तैयार की जावें।

3) प्रत्येक योजना के लिए डी.पी.आर. तैयार की जावें।

प्रदेश की नगरीय जनसंख्या का अनुपात देश की शहरी जनसंख्या से होगा। मिशन के अंतर्गत कुल उपलब्ध राशि का आबंटन उसी अनुपात में किया जायेगा।

मिशन के अंतर्गत योजना की पात्रता के लिए प्रथम वर्ष में कुछ सुधारों को लागू करना अनिवार्य किया गया है एवं इस आशय का अनुबंध नगरीय निकाय एवं राज्य शासन को केन्द्र शासन से करना होगा। वित्तीय वर्ष 2006—07 में जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन योजनांतर्गत राशि रूपये 303.64 करोड़ रायपुर शहर की जलप्रदाय योजना हेतु स्वीकृत की गई है, जिसमें से रू. 182.18 करोड़ केन्द्रांश एवं रू. 22.77 करोड़ राज्यांश राशि प्राप्त हो चुकी है। इस मिशन के द्वितीय सब मिशन (बी.एस.यू.पी.) के अंतर्गत रायपुर में 27976 आवासों के निर्माण एवं अधोसंरचना के लिए रू. 391.45 करोड़ स्वीकृत हुआ है, जिसमें से रू. 156.10 करोड़ केन्द्रांश तथा रू. 19.50 करोड़ राज्यांश राशि प्राप्त हो चुकी है। रायपुर नगर निगम, राज्य शासन तथा केन्द्र शासन के मध्य सुधार कार्यक्रमों को लागू करने के लिए दिनांक 11.08.06 को अनुबंध निष्पादित किया जा चुका है। रायपुर नगर निगम को पेयजल आवर्धन योजना हेतु अब तक रूपये 202.51 करोड तथा बी.एस.यू.पी. के अंतर्गत रू. 86.91 करोड़ प्रदाय किया जा चुका है।

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन में छत्तीसगढ़ के लिए वर्ष 2005–12 तक के लिए विभिन्न घटकों में योजना आयोग भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रावधान किया गया था, जिसके विरूद्ध आबंटन/स्वीकृति की स्थिति निम्नलिखित हैं :–

(राशि करोड़ में)

निकाय	स्वीकृति योजना	स्वीकृत परियोजना	प्राप्त राशि			दी गई राशि		
			केन्द्रांश	राज्यांश	योग	केन्द्रांश	राज्यांश	योग
रायपुर	जल आवर्धन	303.64	182.18	22.77	204.95	179.74	22.77	202.51
रायपुर	बीएसयूपी	391.45	156.10	19.50	175.60	77.26	9.65	86.91
	योग	**695.09**	**338.28**	**42.27**	**380.55**	**257.00**	**32.42**	**289.42**

वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए राशि रूपये 165.00 करोड़ का प्रावधान इन कार्यो की आवश्यकता को देखते हुए रखा गया है।

छोटे एवं मंझोले नगरों की अधोसंरचना विकास की योजना –

छोटे एवं मंझोले नगरों की अधोसंरचना एवं विकास की योजना (Urban Infrastructure Development Scheme for Small & Medium Towns) अंतर्गत देश के छोटे तथा मंझोले नगरों में अधोसंरचना संबंधी सुविधा उपलब्ध कराकर शहरीकरण को विकेन्द्रित करना है तथा आवश्यक अधोसंरचना कार्यो का एक सुनियोजित ढंग से विकास करने के लिए निजी सेक्टर की सहभागिता को बढ़ावा देना है। योजनांतर्गत राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन में सम्मिलित नगरों को छोड़कर शेष सभी नगर सम्मिलित किया गया है। योजना में पूर्व की आई.डी.एस.एम.टी., ए.यू.डब्लू.एस.पी. एवं नगर सुधार प्रोत्साहन निधि को समाप्त कर सम्मिलित किया गया है एवं क्रियान्वित की जा रही योजनाओं को उनके पूर्ण होने तक ही क्रियान्वित किया जायेगा। योजना अंतर्गत 80 प्रतिशत धनराशि केन्द्र शासन द्वारा, 10 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा अनुदान के रूप में प्राप्त की जायेगी और शेष 10 प्रतिशत राशि निकाय के द्वारा वहन की जायेगी। मिशन अंतर्गत योजनाओं की स्वीकृति के निम्नानुसार शर्तो का पालन आवश्यक है:–

1) नगरीय निकाय तथा राज्य शासन, केन्द्र शासन द्वारा मिशन के अंतर्गत निर्धारित सुधार कार्यक्रमों को लागू करने के लिए अनुबंध करें।
2) नगरों के एकीकृत विकास के लिए 20–25 वर्षो की योजना तैयार की जावें।
3) प्रत्येक योजना के लिए डी.पी.आर. तैयार की जावें।

प्रदेश की नगरीय जनसंख्या का अनुपात देश की शहरी जनसंख्या से होगा। मिशन के अंतर्गत कुल उपलब्ध राशि का आबंटन उसी अनुपात में किया जायेगा।

मिशन के अंतर्गत योजना की पात्रता के लिए प्रथम वर्ष में कुछ सुधारो को लागू करना अनिवार्य किया गया है एवं इस आशय का अनुबंध नगरीय निकाय एवं राज्य शासन को केन्द्र शासन से करना होगा। वित्तीय वर्ष 2007–08 में भारत सरकार के द्वारा राशि रूपये 251.43 करोड़ की योजना जिन शहरों के लिए स्वीकृत की गई है, उनका विवरण निम्नानुसार हैं:–

(राशि करोड़ में)

क्र	निकाय	स्वीकृति योजना	स्वीकृत परियोजना	प्राप्त राशि			दी गई राशि		
				केन्द्रांश	राज्यांश	योग	केन्द्रांश	राज्यांश	योग
1	बिलासपुर	जल प्रदाय	41.42	16.57	2.04	18.61	16.40	2.02	18.42
2	रायगढ़	जल प्रदाय	15.24	6.10	0.74	6.84	6.04	0.73	6.77
3	कोण्डागांव	जल प्रदाय	4.52	1.81	0.22	2.03	1.79	0.22	2.01
4	बिलासपुर	सीवरेज	190.25	42.89	12.86	55.75	41.17	5.14	46.32
	योग		**251.43**	**67.37**	**15.86**	**83.23**	**65.40**	**8.11**	**73.52**

अ. योजना अंतर्गत बिलासपुर, रायगढ़ एवं कोण्डागांव में कुल 42.12 एमएलडी अतिरिक्त जल प्रदाय हेतु रू. 61.19 करोड़ की स्वीकृत योजनांतर्गत 50 प्रतिशत कार्य पूर्ण । शेष कार्य मार्च 2011 तक पूर्ण होना संभावित है।

ब. बिलासपुर भूमिगत सीवरेज योजना लागत – रू. 279.97 करोड़ योजना अंतर्गत 270 किमी. सीवरेज पाईप, 7 पंपिंग स्टेशन तथा 2 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य प्रगति पर है। अभी तक 30 प्रतिशत कार्य पूर्ण। शेष कार्य अक्टूबर 2011 तक पूर्ण होना संभावित।

सुधार कार्यक्रमों को लागू करने के लिए निकाय, राज्य शासन एवं केन्द्र शासन के मध्य 29.09.06 को अनुबंध निष्पादित किया जा चुका है। निम्न निकायों की परियोजनाएं भी एप्राइजल हेतु केन्द्र शासन को अग्रेषित की गई हैं :–

(राशि करोड़ में)

क्र.	निकाय का नाम	योजना का नाम	योजना राशि
1.	न.नि.रायगढ़	स्टार्म वाटर ड्रेनेज	4.72
2.	न.पा.धमतरी	स्टार्म वाटर ड्रेनेज	18.59
3.	न.नि.राजनांदगांव	स्टार्म वाटर ड्रेनेज	12.49
4.	न.नि.भिलाई	स्टार्म वाटर ड्रेनेज	22.99
5.	न.पा.भिलाईचरौदा	स्टार्म वाटर ड्रेनेज	13.71
6.	न.नि.दुर्ग	स्टार्म वाटर ड्रेनेज	16.66
7.	न.नि.अंबिकापुर	स्टार्म वाटर ड्रेनेज	22.90
8.	न.पं.सीतापुर	वाटर सप्लाई	1.72
	योग		**113.78**

एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम –

यह योजना भारत सरकार द्वारा परिवर्तित की गई है, जिसमें चयनित शहरों की वर्तमान झुग्गी बस्तियों में उपयुक्त आवास तथा बुनियादी सुविधा उपलब्ध करना, जिससे पर्यावरण को स्वस्थ और बेहतर बनाया जा सके। योजना की लक्षित समूह में झुग्गियों में निवास करने वाले सभी वर्गों के लोग सम्मिलित होंगे। झुग्गियों की सुधार एवं विकास में कलस्टर एपरोच का अनुसरण किया जायेगा, जिसमें कि पूरी बस्ती अथवा उसके किसी पारे/टोले को अन्यत्र विस्थापित किया जा सकेगा। योजना अंतर्गत 80 प्रतिशत धनराशि केन्द्र शासन द्वारा, 10 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा अनुदान के रूप में प्राप्त की जायेगी और शेष 10 प्रतिशत राशि निकाय के द्वारा वहन की जायेगी।

मिशन अंतर्गत योजनाओं की स्वीकृति के निम्नानुसार शर्तो का पालन आवश्यक है:–

1) नगरीय निकाय तथा राज्य शासन, केन्द्र शासन द्वारा मिशन के अंतर्गत निर्धारित सुधार कार्यक्रमों को लागू करने के लिए अनुबंध करें।

2) नगरों के एकीकृत विकास के लिए 20–25 वर्षो की योजना तैयार की जावें।

3) प्रत्येक योजना के लिए डी.पी.आर. तैयार की जावें।

प्रदेश की नगरीय जनसंख्या का अनुपात देश की शहरी जनसंख्या से होगा। मिशन के अंतर्गत कुल उपलब्ध राशि का आबंटन उसी अनुपात में किया जायेगा।

मिशन के अंतर्गत योजना की पात्रता के लिए प्रति वर्ष दो ऐच्छिक सुधारों को एवं 6 अनिवार्य सुधारों को लागू करना अनिवार्य किया गया है एवं इस आशय का अनुबंध नगरीय निकाय एवं राज्य शासन को केन्द्र शासन से करना होगा। वित्तीय वर्ष 2009–10 में योजना अंतर्गत 17 निकायों में 18 परियोजनाओं के अंतर्गत 17922 इकाई आवास निर्माण हेतु स्वीकृत योजना लागत रू. 225.60 करोड़ जिसमें से रू. 158.82 करोड़ केन्द्रांश एवं रू. 19.85 करोड़ राज्यांश तथा रू. 46.93 करोड़ निकाय का अंश है। योजनांतर्गत 9100 आवास का कार्य प्रगति पर है। शेष कार्य मार्च 2012 तक पूर्ण होना संभावित।

(राशि लाखों में)

क्र.	निकाय का नाम	स्वीकृत परियोजना				निकायों को आबंटित राशि	व्यय राशि
		स्वीकृत योजना राशि	आवासों की संख्या	केन्द्रांश की राशि	राज्यांश की राशि		
1	न.नि.बिलासपुर फेस–।	1784.97	1344	1212.94	151.62	654.98	1370.17
2	न.नि.जगदलपुर	901.55	880	650.84	81.40	702.90	798.60
3	न.पा.कुम्हारी	340.00	320	246.40	30.80	270.27	332.73
4	न.पा.भाटापारा	498.00	450	362.40	45.30	391.38	439.78
5	न.पा.बालोद	258.27	200	190.62	23.80	205.85	258.27
6	न.पा.डोंगरगढ़	258.28	200	190.62	23.80	102.92	91.607
7	न.नि.बिलासपुर फेस–।।	7933.15	6492	5307.84	663.46	2866.19	2328.99
8	न.नि.भिलाई	1215.76	1168	879.17	109.90	989.07	916.75
9	न.नि.दुर्ग	1814.10	1638	1320.24	165.02	1425.85	1032.44
10	न.पा.कुरूद	238.41	204	174.41	21.79	188.35	145.61
11	न.पं.अभनपुर	260.68	210	191.74	23.97	207.09	149.00
12	न.नि.रायगढ़	1593.36	1312	1064.77	133.09	574.96	0.00
13	न.पा.बेमेतरा	258.28	200	190.64	23.82	205.88	248.84
14	न.पा.जामुल	295.17	228	217.91	27.23	239.00	253.96
15	न.नि.राजनांदगांव	1796.86	1072	1351.73	168.96	729.93	0.00
16	न.पं.खैरागढ़	751.55	492	561.88	70.24	303.41	0.00
17	न.पं.डोंगरगांव	798.70	480	600.56	75.07	324.30	0.00

18	न.पा.कवर्धा	1563.29	1032	1168.07	146.00	630.76	0.00
	योग –	**22560.38**	**17922**	**15882.78**	**1985.27**	**11013.09**	**8366.747**

स्वीकृत परियोजनाओं के लिए निकायों, राज्य शासन, केन्द्र शासन द्वारा सुधार कार्यक्रम लागू करने के लिए दिनांक 16.11.2006 को अनुबंध किया जा चुका है।

स्वच्छ छत्तीसगढ़ योजना –

यह योजना वर्ष 2005–06 से लागू की गई है। इस योजना का उद्‌देश्य शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीबी रेखा के नीचे एवं उसके आस–पास जीवन–यापन करने वाले परिवारों के लिए सस्ता शौचालय निर्माण किया जाना है ताकि खुले क्षेत्रों में शौच की प्रवृत्ति का त्याज्य किया जाकर स्वच्छ छत्तीसगढ़ का निर्माण किया जा सके। इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों की गरीब व्यक्तियों के घरों में व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण किया जाता है, जिसकी इकाई लागत रू. 6000/– हैं जिसमें रू. 1462/– केन्द्रीय अनुदान एवं रू. 600/– हितग्राही अशंदान एवं रू. 3938/– राज्य शासन का अनुदान शामिल है। योजनांतर्गत अभी तक 17 नगरीय निकायों में 12865 व्यक्ति शौचालय हेतु कुल राशि रू. 694.72 लाख आबंटन उपलब्ध कराया गया है जिसके तहत 9827 शौचालयों का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

————::————